महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिन्तामण गणेश, पो.ऑ. – जवासिया, उज्जैन – 456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of Education, Govt. of India)
Ved Vidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasia, Ujjain – 456006 (M.P.)

प.सं.17-1/2024(प्र./वि.)/मसारावेविप्र/ दिनांक :05.12.2024

आदेश - 1578

विषय : वेदपाठशालाओं / इकाइयों के छात्रों के अभिभावक संग बैंक खातों की KYC अद्यतन (Update) कराने के सम्बन्ध में ।

प्रतिष्ठान से अनुदानित वेदपाठशालाओं / गुरू-शिष्य परम्परा इकाइयों को मासिक अनुदान के अन्तर्गत वेद एवं आधुनिक विषय अध्यापकों को मानदेय एवं एक वेद अध्यापक के अधीन अधिकतम 10 वित्तपोषित छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की जाती है । छात्रों को जारी राशि रू. 5000/- की मासिक छात्रवृत्ति में राशि रू. 3500/- वेदपाठशाला / इकाई अध्यापक के बैंक खातें में छात्र की रखरखाव छात्रवृत्ति की रूप में प्रेषित की जाती है तथा राशि रू. 1500/- छात्र के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातें में छात्र स्वत: व्यय राशि के रूप में प्रेषित की जाती है ।

प्रतिष्ठान द्वारा वित्तपोषित छात्रों को जारी की गई छात्र स्वत: व्यय राशि भुगतान में यह ध्यान में आया है, कि कई छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातों की KYC नहीं की गई है, जिसके कारण कई छात्रों की छात्र स्वत: व्यय राशि प्रतिष्ठान के खातें में वापस आ रही है।

समस्त वेदपाठशाला एवं गुरू शिष्य परम्परा इकाई अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है, कि वेदपाठशाला / इकाई में अध्ययनरत समस्त वित्तपोषित छात्रों के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खाते के सुचारू संचालन हेतु बैंक खाते की KYC update करना यथाशीघ्र सुनिश्चित करें ।

छात्रों की KYC upadate नहीं होने पर वित्तपोषित छात्र की छात्रवृत्ति जारी नहीं की जाएगी ।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

05/12

(श्रीकांत चौबे)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि : (1) सहायक निदेशक, शैक्षणिक

(2) प्रतिष्ठान से अनुदानित समस्त वेदपाठशालाओं /इकाइयों को सूचनार्थ प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशित ।

(3) कार्यालय आदेश पत्रावली ।

Tele : 0734-2502266, 2502254, 2502255 Fax : 0734-2502266
E-mail :msrvvpujn@gmail.com Website : msrvvp.ac.in